

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#), [आपराधिक प्रक्रिया संहति](#), [मुस्लिम महिला \(तलाक पर अधिकारों का संरक्षण\) अधनियम, 1986](#), [पारवारिक न्यायालय](#)

मेन्स के लयः

तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, सरकारी नीतयों और हस्तक्षेप

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

मोहमद अबदुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 के मामले में, भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) (Supreme Court- SC) ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर [आपराधिक प्रक्रिया संहति](#) (Criminal Procedure Code- CrPC) की धारा 125 की प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारज कर दया।

याचिका कसि बारे में थी?

- यह याचिका एक मुस्लिम व्यक्ति ने दायर की थी, जसमें अंतरमि भुगतान के नरिदेश को चुनौती दी गई थी।
- आपराधिक प्रक्रिया संहति (CrPC) की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश दया गया।
 - याचिकाकर्ता ने तर्क दया क [मुस्लिम महिला \(तलाक पर अधिकारों का संरक्षण\) अधनियम, 1986](#) को CrPC की धारा 125 के धर्मनरिपेक्ष कानून पर हावी होना चाहयि।
- याचिकाकर्ता ने दावा कया क 1986 का अधनियम, एक वशिष कानून होने के कारण, अधिक व्यापक भरण-पोषण प्रावधान प्रदान करता है और इसलयि इसे **CrPC की धारा 125 के सामान्य प्रावधानों** पर वरीयता दी जानी चाहयि।
 - याचिकाकर्ता ने तर्क दया क 1986 के अधनियम की धारा 3 और 4, एक **गैर-अस्थायी खंड** के साथ, प्रथम श्रेणी मजसिद्रेट को **मेहर** (ववाह के अवसर पर पतद्वारा अपनी पत्नी को दया जाने वाला अनवार्य उपहार) तथा नरिवाह भत्ते के मामलों पर नरिणय लेने का अधिकार प्रदान करती है।
 - उन्होंने ज़ोर देकर कहा क [पारवारिक न्यायालयों](#) के पास **अधिकार क्षेत्र नहीं** है क्योंकि अधनियम में इन मुद्दों को नपिटाने के लयि मजसिद्रेट को अनवार्य बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने धारा 5 के अनुसार 1986 के अधनियम के बजाय CrPC प्रावधानों को चुनने हेतु हलफनामा प्रस्तुत करने में पत्नी की वफिलता पर ज़ोर दया।
- यह तर्क दया गया क **1986 का अधनियम अपने वशिषट प्रावधानों के कारण मुस्लिम महिलाओं** के लयि धारा 125 CrPC को नरिस्त कर देता है, जससे उन्हें धारा 125 CrPC के तहत राहत मांगने से रोक दया जाता है।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधनियम, 1986 क्या है?

- उद्देश्य:** यह अधनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लयि बनाया गया था, जन्हें उनके पतयों ने तलाक दे दया है या जन्होंने अपने पतयों से तलाक ले लया है। यह इन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लयि प्रावधान करता है।
 - यह अधनियम [2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017](#), 1985 के मामले का जवाब था। जसमें [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा था क **CrPC की धारा 125 एक धर्मनरिपेक्ष प्रावधान है जो धर्म के बावजूद सभी पर लागू होता है।**
 - CrPC** के तहत भरण-पोषण का अधिकार परसनल लॉ के प्रावधानों से नकारा नहीं जाता है।
- प्रावधान:**
 - एक **तलाकशुदा मुस्लिम महिला** अपने पूर्व पतसे उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है, जसका भुगतान [2017 2017 2017 2017](#) के भीतर कया जाना चाहयि।

और पढ़ें: मुसलमि महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार

प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- विवाह का अधिकार भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक है, जिसके अनुसार "किसी भी व्यक्ति को वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।
- लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत शादी के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

प्रश्न:

प्रश्न. रीत-रिवाज और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतविशिध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (2020)